हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की वर्ष 2019–20 की ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में अनुपालन आख्याः–

आपत्ति /मेमो संख्या	आपत्ति का विवरण	अनुपालन आख्या/ विभाग का उत्तर
2.	वर्ष 2019–20 की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को निम्न विवरण अनुसार अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 1. बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त 2. किराये पर लिए वाहन सम्बन्धी पत्रावली 3. विविध अग्रिम पंजिका/पत्रावली 4. विज्ञापन व्यय एवं विविध फुटकर व्यय पत्रावली	लेखा परीक्षा दल द्वारा वांछित पत्रावलियों/अभिलेखों को कार्यालय द्वारा समयानुसार उपलब्ध कराया गया।
3.	हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय ई डबल्यू एस भवनों के सापेक्ष ली जाने वाली बैंक गारंटी धनराशि विवरण पत्रवाली मे संलग्न न होना अनियमित रहा – प्राधिकरण के पत्रांक 1636/हरि /ले आउट /153/2019–20 के द्वारा श्री सतीश त्यागी एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत खसरा न 1500, 1501,1502 एवं 1503 जो ग्राम अन्नेकी हेतमपुर रुड़की हरिद्वार से संबन्धित है का लेआउट स्वीकृत किया गया है । लेआउट स्वीकृति के समय विकास कार्यो के सापेक्ष रु 3346500 की बैंक गारंटी ली गई है । जबकि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 506/व/आ –2016–23(आ)/2011 दिनाँक 30 मार्च 2016 के प्रस्तर 2(V) के अनुसार ई डबल्यू एस एवं एल आई जी भवनों के सापेक्ष भी बैंक गारंटी ली जाएगी जो संबन्धित योजना के कुल क्षेत्रफल की 10% भूमि मूल्य के बराबर होगी जिसकी गणना वर्तमान सर्किल रेट पर की जाएगी । बैंक गारंटी की अवधि न्यूनतम एक वर्ष होगी । दिनाँक 30–10–2019 को मानचित्र स्वीकृति के समय ई डबल्यू एस भवनों के सापेक्ष बैंक गारंटी लिए जाने से संबन्धित कोई विवरण पत्रवाली मे संलग्न नहीं है। जिसके संबंध मे विवरण अपेक्षित है ।	
4	मैसर्स ब्रजन ऐरो कम्पनी प्रा. लि0. के ग्राम सलेम पुर महदूद स्थित प्रोजेक्ट के ई डबल्यू एस भवनों के सापेक्ष लिए गए शेल्टर फंड के पूर्व अपेक्षित स्वीकृति एवं बिलम्ब शुल्क न लिया जाना–उक्त परियोजना की स्वीकृति पत्रांक –2994/महा.–1क–मान./हरिद्वार/ले आउट आरएस –**23/154/2014**–15 दिनाँक 2–01–2015 एवं संशोधित स्वीकृति आदेश 519/महा.–1क–मान./हरिद्वार/आरएस –23/154/2014015 दिनाँक 17–06–2016 के द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई । मानचित्र की स्वीकृति 46 ई डबल्यू एस एवं 10एलआईजी भवनों का निर्माण नियमानुसार करने की शर्त पर दी गई। उक्त स्वीकृति के वाद मैसर्स ब्रजन ऐरो कम्पनी प्रा . लिम0 के पत्र दिनाँक 01–09–2017 के क्रम मे सचिव हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बोर्ड एवं उपाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के 46 ईडबल्यूएस एवं 10एलआईजी भवनों का निर्माण के स्थान पर शेल्टर फंड लिए जाने के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए टेक्निकल अनुभाग को निर्देशित किया गया। टेक्निकल अनुभाग द्वारा शेल्टर फंड की गणना को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राधिकरण के	उक्त ऑडिट आपत्ति मेमो संख्या–04 के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि विलम्ब शुल्क/ब्याज की देयता के सम्बन्ध मे वसूली की कार्यवाही की जा रही है। **अतः आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।**

	पत्रांक –2994/महा.–1क मान./हरिद्वार/ले आउट आरएस –23/154/2014–15 दिनाँक 29–12–2017 के द्वारा शेल्टर फंड की धनराशि दो छमाही किस्तों मे जमा करने के लिए कहा गया। उक्त के सम्बन्ध मे निम्न स्पष्टीकरण अपेक्षित है – 1–उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 506/व/आ –2016–23(आ)/2011 दिनाँक 30 मार्च 2016 के प्रस्तर 2(v) के अनुसार ई डबल्यू एस एवं एल आई जी भवनों का निर्माण योजना के अन्य आवासीय स्टाक की भौतिक प्रगति के अनुपात मे किया जाना होगा। मूल स्वीकृति दिनाँक 02–01–2015 से 2वर्ष 08माह के उपरान्त शेल्टर फंड का प्रस्ताव उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 506/व/आ–2016–23(आ)/2011 दिनाँक 30 मार्च 2016 के ही क्रम मे दिया गया तो फिर उस समय योजना की भौतिक प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया या नहीं विवरण अपेक्षित है। 2 – टेक्निकल अनुभाग द्वारा शेल्टर फंड की गणना को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राधिकरण के पत्रांक –2994/महा.–1क– मान ./हरिद्वार /ले आउट आरएस –23/154/2014–15 दिनाँक 29–12–2017 के द्वारा शेल्टर फंड की धनराशि दो छमाही किस्तों मे जमा करने के लिए कहा गया जिसकी प्रथम किस्त एक सप्ताह के अन्दर तथा दूसरी किस्त दिनाँक 28–06–2018 तक जमा कराना सुनिश्चित करने को कहा गया जबकि दूसरी किस्त की धनराशि नियत तिथि के लगभग एक वर्ष बाद दिनाँक 10–05–2019 को जमा किया गया ,बिलम्ब से जमा की गई धनराशि पर कोई बिलम्ब शुल्क एवं ब्याज नहीं लिया गया जिसके सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है । 3–उक्त सभी प्रकरणों पर बोर्ड की अनुमति न लिए जाने के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।	
5	सेवा में, सचिव, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण,हरिद्वार । महोदय, कृपया वर्ष 2019–2020की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को निम्न विवरण अनुसार अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 1– हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2019–2020 में प्राधिकरण में स्वीकृत पद के सापेक्ष संविदा के माध्यम से विभिन्न कार्यों हेतु कार्मिकों का नियोजन किया गया है अतः निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें क्र०स० पदनाम प्राधिकरण में स्वीकृत पद कार्यरत पद रिक्त पद रिक्त पद के सापेक्ष संविदा पर नियक्त कार्मिक 2–पूर्व में मांगी गई सूचना 3– सांसद निधि, विधायक निधि,कुम्भ मेला एवं दैवीय आपदा एवं अन्य से प्राप्त अनुदान धनराशि से संबन्धित पत्रावली	लेखा परीक्षा दल द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वांछित सूचना को समयानुसार सम्परीक्षा दल को उपलब्ध करा दिया गया है।
6	मानचित्र सं–मान0/हरि0/आरएस 0–88/241/ 2015–16 जो कि द हंस फाउंडेशन द्वारा ग्राम बहदराबाद के खसरा संख्या 51/2एवं 53 जिसका कुल रकबा 10371.781 वर्ग मीटर है जो महा योजना 2025 मे आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित है का भू–उपयोग परिवर्तन	उक्त ऑडिट आपत्ति मेमो संख्या–06 सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं द हंस फाउनडेशन के सम्बन्ध मे भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी शासनादेश सं0–1558 दिनॉक 26/12/2019 मे सर्किल रेट का 10 प्रतिशत भू–उपयोग

	कराने के आवेदन के क्रम मे प्राधिकरण कि ओर से शासन को भू उपयोग परिवर्तन करने हेतु कार्यालय पत्रांक 1880 दिनाँक 03–12–2019 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया । उक्त के क्रम मे उत्तराखंड शासन के आवास अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 1558 / V–2–2019–11 (एल0यू0सी0) / 2019 आवास अनुभाग–2 दिनाँक 26–12–2019 के द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कि गई । उक्त शासनादेश के शर्त संख्या – 01 के अनुसार भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्रश्न गत भूखण्ड के सर्किल रेट का 10% भू उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा । जिसके अनुसार ततकालीन सर्किल दर 14000 / वर्ग मी की दर से कुल –10374. 15×14000×10%=14523810 / भू उपयोग शुल्क लिया जाना था जबकि प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेश का पालन न कर कुल 10374.15×14000×10% 0.80=11619048 भू उपयोग शुल्क मार्च 2020 मे प्राप्त किया गया है। इस प्रकार प्राधिकरण को रु 2904762 कम शुल्क प्राप्त हुआ है जिसकी वसूली द हंस फाउंडेशन से की जानी अपेक्षित है।	परिर्वतन शुल्क जमा कराये जाने के ओदश है। सामान्यतः भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराये जाने हेतु शासनादेश सं0–1895 दिनॉक 28 / 12 / 2016 निर्गत है। जिसके आधार पर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता का निर्धारण किया जाता है। इस शासनादेश मे भू–खण्ड क्षे0–1है0 से अधिक एवं 5 है0 तक की भूमि पर गुणांक 0.8 का प्राविधान है। जिसके अनुसार प्रश्नगत प्रकरण मे देयता का निर्धारण किया गया है। चूकि दोनो शासनादेशो मे भिन्नता है जिसके दृष्टिगत प्रकरण मे शासन से आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान किये जाने हेतु पत्राचार किया जाना है। तदोपरान्त शासन के निर्देशानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। **अतः आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।**
7	हरीतिमा योजना मद से विभिन्न पार्कों के उद्यानीकरण सोंदर्यीकरण हेतु लगाये गये पेड़ पौधों का लेखा न रखा जाना –हरीतिमा योजना मद हरिद्वार स्थित विभिन्न पार्कों के उद्यानीकरण / सोंदर्यीकरण हेतु प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न पेड़ पौधे लगाए जाने पर वर्ष 2019–2020 में समय–समय पर विविध व्यय किया गया है लगाये गये पेड़ पौधों की देखरेख कितने समय तक की जाती है एवं कितने समय बाद ये पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं और कितने समय बाद नष्ट हो जाते है। अर्थात लगाये गये पेड़ पौधों का प्रजातिवार ऐसा कोई रजिस्टर नही रखा गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि वर्ष में कुल कितने स्थानों (एरिया) में कितने पेड़ पौधे कहाँ–कहाँ कब–कब लगाए गये है एवं वर्षान्त पर कितने पेड़ पौधे जीवित रहे कितने बड़े हुए और कितने नष्ट हुए। कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक स्टॉक रजिस्टर रखा गया है जिसमें मात्र क्रीत सामग्री के बिलों का विवरण एवं सामग्री वितरण अंकित है। अर्थात स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर नही रखा गया है। अतः लगाए गये पेड़ पौधे की उपयोगिता के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है 1– उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के अनुसार पंतद्वीप सेक्टर हरिद्वार में बोगनविलिया के 100 पौध लगाये हेतु उद्यान अधीक्षक को रू0–30000.00 अग्रिम दिनांक 06.05. 2019 को दिये गये जिसके सापेक्ष हनु वाटिका नर्सरी से बिल संख्या 4443 दिनांक 13.06.2019 बोगनविलिया के 100 मिक्स पौधे रू0–12000.00 क्रय किये गये एवं शेष धनराशि 18000.00 को कार्यालय में जमा न कर न्यू लाइन नर्सरी से 90 पेड़ फाइकस ब्लेक के लिए गये जिसमें से 60 पौधे श्यामलोक को दिये तथा शेष 30 पौधे का कोई विवरण पत्रावली पर नहीं था। 2–विवेक विहार स्थित पार्क में माह 5 / 18 में निम्न	कृ0 हरितिमा मद के अन्तर्गत पार्को में तथा सड़क के किनारे लगाये गये पेड़ पौधो का विवरण यथा स्थान स्टॉक रजि0 एवं पत्रावली पर भी विवरण उपलब्ध होता है। सीजनल पौध अल्पावधि पवृति के होते है, इसलिये कुछ माह ही जीवित रहते है। परमानेन्ट नेचर के पौधों की देखभाल गाईड लाईन के हिसाब से कार्यवाही की जा रही है। कौन–कौन सी पौध कहॉ लगाई गयी उसका स्पष्ट विवरण स्टॉक रजि0 एवं माप पुस्तिका में होता है। पार्को में ऑर्नमिंटल प्लान्टस एवं सीजलन प्लान्टस ही रोपित किये जाते है, जोकि वन विभाग की तरह टिम्बर वाले नहीं होते है, उनसे आय सम्भावित नहीं होती है। 1.सचिव महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.05. 2019 के अन्तर्गत धनांक रू0–30,000.00 के 100 पौध बोगनबिलिया के पन्तद्वीप में लगाये जाने हेतु प्राप्त हुई थी, जिसमें सचिव महोदय से मौखिक वार्ता के कम में धनांक रू0–30,000.00 के बजाय केवल धनांक रू0–12,000.00 के बोगनबिलिया पौध खरीद कर पन्तद्वीप में लगाये गये। शेष रू0–18,000.00 के 90 फाईकस ब्लैक उच्च स्तर से प्राप्त निर्देष / वार्ता के कम में क्रय किये गये जिसमें से 60 पौध श्यामलोक में दिये गये तथा 30 पौधों का विवरण पत्रावली में उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि स्टॉक रजि0 के पृश्ठ संख्या–165 कमांक 25 पर स्पश्ट किया गया है कि षेश 30 पौध पन्तद्वीप सेक्टर में लगाई गयी । कृपया अवलोकित कर आपत्ति निरस्त करने का कष्ट करें।

	विवरण अनुसार पेड़ पौधे लगाये गये (करण नर्सरी बिल नं0 210/02.04.18 रू0–63000.00) 1–चाँदनी–80 2– गुड़हल–80 3–गोल्डन बोटल बुश–40 4–टिकोमा–80 5–थैली–500 (करण नर्सरी बिल नं0 216/10.05.18 रू0–20000.00) सीजनल पौधे 500 लगभग एक माह बाद उक्त समस्त पेड़ कितने एरिया में लगाये गये थे पत्रावली पर कोई विवरण अंकित नहीं था उक्त लगाये गये पेड़ पौधो का रख रखाव देख रेख का कार्य ठेकेदार मै0अजय खंडुरी द्वारा किया गया था तथा उक्त कार्य दिनांक 28.05.2019 को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया अतः उपरोक्तानुसार लगाये गये पेड़ पौधों में से कितने पेड़ पौधे हस्तांतरित हुए स्थिति अज्ञात रही।	2.विवेक विहार स्थित पार्क को अनुबन्ध संख्या 23/2017–18 के अन्तर्गत ठेकेदार मै0 अजय खण्डूरी द्वारा कार्य किया गया था। कार्य पूर्ण होने के पष्चात उक्त पार्क दिनांक 28.05.2019 को हस्तान्तरित हुआ था। विवरण के अनुसार यथा समय ऑर्नामेंटल प्लान्टस लगाये गये थे, उस समय सीजनल प्लान्टस उपलब्ध न होने के कारण एक माह बाद लगाये गये थे। उक्त समस्त पेड़ यथा स्थान क्यारियों पृष्ठ संख्या–99 के एरिया में लगाये गये थे। वर्तमान में समस्त ऑर्नामेन्टल प्लान्ट जीवित है तथा उनकी देखभाल नियमानुसार प्राधिकरण में उपलब्ध मालियों द्वारा की जा रही है। कृपया अवलोकित कर आपत्ति निरस्त करने का कष्ट करें।
8	बिना निविदा आमंत्रित किये सामग्री क्रय किया जाना अनियमित –हरीतिमा योजना मद से क्रय की जाने वाली सामग्री एवं कराये गये कार्यो की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2019–2020 में बिना निविदा आमंत्रित किए पूर्व निविदा के आधार पर सामग्री क्रय की गई है कतिपय पत्रावलियों का विवरण निम्न है– क0सं0 पूर्व अनुबंध सं०व दि० ठेकेदार फर्म का नाम सामग्री 1– 18/2017–1831.03.18 मै०ए०एन०कांक्रीट प्रोडेक्ट,ह हापुड़ आर०सी०सी०बैच 2– 05/18–19 मै०माँ मनसा वेरायटीज,हरिद्वार झूले,रपटे,बैंच आदि अतः वर्ष 2019–2020 में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत किन–किन सामग्री एवं कराये गये कार्य के लिये निविदा आमंत्रित नही की गई एवं उपरोक्त सामग्री एवं कराये गये कार्य के लिये किन कारणों से निविदा आमंत्रित नही की गई वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।	1.मै0 ए0एन0 कंक्रीट हापुड़ के पक्ष में अनुबन्ध संख्या–18/2017–18 निष्पादित हुआ था। अनुबन्ध नोटशीट संख्या–18 आख्या के अनुसार अनुबन्ध अवधि दिनांक 31.03.2019 तक वैद्य थी। उच्चधिकारियों के मौखिक आदेशानुसार उक्त कार्य को शीघ्र किये जाने के निर्देश थे, इसलिये पूर्व अनुबन्ध संख्या–18/2017–18 के अन्तर्गत शीघ्र आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मुख्य वित्त अधिकारी महोदय की सहमति दिनांक 02.03.2019 एवं सचिव महोदय द्वारा अग्रसारित तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव दिनांक 07.03.2019 अनुमोदित किया गया था। तद्नुसार कार्य कराया गया था। कृपया सहमति की दषा में आपत्ति निरस्त करने का कष्ट करें। 2.अनुबन्ध सख्ख्या–05/2018–19 के आधार पर पार्षद मोनिका सैनी, खन्ना नगर के अनुरोध पर प्रस्ताव धनांक रू0–80,800.00 का तैयार किया गया था, जिस पर वित्त अधिकारी की सहमति दिनांक 02.03.2019 के बाद ही सचिव महोदय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक 06.03.2019 को किया गया, इस के अनुपानल में इस कार्य को कराया गया है, इसके पश्चात पुनः एक अनुमोदन धनांक रू0–93,490.00 का कार्य किया गया। नोटशीट संख्या–26 पर पुनः प्रस्ताव तैयार किया गया, जोकि सचिव/उपाध्यक्ष महोदय के मौखिक निर्देशों के क्रम में तैयार किया गया था, जिस पर मुख्य वित्त अधिकारी की

		स्पष्ट संस्तुति दिनांक 05.04.2019 तथा सचिव महोदय के प्रस्ताव अग्रसारित के बाद उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक 14.08.2019 को किया गया उक्त के अनुपालन में कार्य अनुबन्ध के अनुसार संन्तोषजनक ढंग से किया गया है। तद्नुसार आपत्ति निरस्त करने हेतु प्रस्तुत है।
9	सामग्री मांग के सापेक्ष अधिक आपूर्ति किया जाना अनियमित – रू0 28750.00 कार्यालय जिलाधिकारी,हरिद्वार महोदय के पत्रांक 3126/न्याय अनु0/गांधी जयंती /2019 दिनांक 25.09.2019 के पुस्तर–10 वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार 50 ट्री गार्ड की वयवस्था की जानी थी। पत्रवाली पर टीप पृष्ठ संख्या 05 पर उद्यान अधीक्षक ने लिखा कि जिलाधिकारी कि बैठक के निर्देशानुसार 50 ट्री गार्ड हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे एवं समय–समय पर ट्री गार्ड की अवश्यकता मांग होती है अतः 50 ट्री गार्ड्स भविष्य के लिए रिजर्व करने हेतु लिखा तथा सरफराज बांस स्टोर से बिल संख्या 124/27.12.19 रू0–57500.00 द्वारा 100 ट्री गार्ड क्रय किये गये जिन्हे स्टॉक रजिस्टर पृष्ट संख्या 167 पर दर्ज कर समस्त ट्री गार्ड की आपूर्ति करना अंकित है। अतः 50 ट्री गार्ड रू0–28750.00 मांग के सापेक्ष अधिक आपूर्ति के संबंध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।	गॉधी जयन्ती पर कलेक्ट्रेड द्वारा 50 ट्री गार्ड की डिमाण्ड की गयी थी। तथा भविष्य के लिये 50 ट्री गार्ड ओर बनवाये गये थे। 50 ट्री गार्ड कलेक्ट्रेड में दिये गये थे तथा 50 ट्री गार्ड वहीं पर स्टॉक किये गये थे, जिनका बाद में हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की सहमति से बाद में वन विभाग द्वारा रोशनाबाद स्टाप क्वॉटर के आस पास पौध की सुरक्षा हेतु लगाये गये थे, जो आज भी मौजूद है। स्टॉक रजि0 में स्पष्ट पूर्व में अंकित है। तद्नुसार आपत्ति निरस्त करने का कष्ट करें।
10	कैशबुक में कुल देय धनराशि से कम की प्रविष्टि किया जाना–रू0 238.00 कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा धन जमा रसीद संख्या 178/38 दिनांक द्वारा श्री अचलेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामप्रसाद अग्रवाल से भूमि मूल्य अन्तर रू0 28049, देय ब्याज रू0 114491, फ्री होल्ड रू0 36928 कुल रू0–179468 होता है प्राप्त करना था परंतु उनसे रू0 179230 प्राप्त किया गया रू0 238 कम प्राप्त किये अन्तर रू0 238.00 का समायोजन कराया जाना अपेक्षित है।	सम्परीक्षा आपत्ति के क्रम मे भवन सं0–एम0–06,हरिलोक आवासीय योजना ज्वालापुर हरिद्वार की बकाया धनराशि रू0–238/ रसीद संख्या–203/26 दिनॉक–07/12/2020 द्वारा प्राधिकरण कोष मे जमा कराई गई है। तदनुसार आपत्ति सम्परीक्षा काल हेतु समाप्त करने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।
11	श्री विनोद कुमार राव की सेवापुस्तिका में उनके वेतन निर्धारण मे निम्न कमियाँ पाई गई ,जिनके सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है । 1–श्री राव को दिनॉक 28–07–2001 को प्रथम प्रोन्त वेतनमान दिया गया है । प्रोन्त वेतन मान के रूप में इन्हे 3200–85–4900 मे निर्धारण किया गया है जबकि कनिष्ठ सहायक की प्रोन्नति प्रवर सहायक के पद पर रु 4000–100–6000 के पद पर होती है तथा समयमान वेतन मान मे प्रथम प्रोन्न्त वेतन मान के रूप पदोन्नत पद का वेतन मान प्रदान किया जाता है जिसके न दिये जाने के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है । 2–प्रथम प्रोन्न्त वेतन मान के 5वर्ष के बाद नियमानुसार प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतिय/अगले वेतनमन मे एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाता है जो नहीं दिया गया है जिसके सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है । 3–दिनॉक 01–11–2013 को तृतीय एसीपी के रूप मे प्राप्त ग्रेड पे को शासनादेश के क्रम मे 4200 से 4600	उक्त ऑडिट आपत्ति मेमो संख्या–11 सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि उल्लिखित त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के सम्बन्ध मे दिये गये सुझाव के अनुसार नियमानुसार वेतन संशोधिन सम्बन्धी कार्यवाही करते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण को संशोधित किया जा रहा है। अतः आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।

	प्रदान करते समय वेतन रु 12050 प्रदान किया गया है ,जबकि उत्तराखंड शासन के शासनादेश सं 41/——दिनाँक 13 फरवरी 2009 के अनुसार ग्रेड पे 4600 की न्यूनतम पे 12540 है जो उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 697/ –दिनाँक 11 सितम्बर 2013 एवं शासानादेश सं –2018 के अनुसार देय है , जिसके न दिये जाने के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।	
12	उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल)के माध्यम से सेवायें आउटसोर्स न किया जाना – उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 595/xvii–5/16/09(17)/2004 दिनांक 06 जून 2016 एवं शासनादेश संख्या 685/ xvii–5/18/09(17)/2004 दिनांक 06 जुलाई 2016 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके विधिक आश्रितों को उपनल के माध्यम से सेवायोजित करने के निर्देश दिये गये । इस संबंध में पुनः उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 630/xvii –5/18–09(17)/2004 दिनांक 06 जून 2018 एवं शासनादेश संख्या 801/xvii–5/18–09(17)/2004 दिनांक 31जुलाई 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के दृष्टिगत विभागों को उपनल के माध्यम से ही सर्वप्रथम सेवायें आउटसोर्स किए जाने एवं जिन सेवाओं को उपनल आउटसोर्स करने में असमर्थ हो, ऐसी सेवाओं को अन्य स्रोतों से आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया । कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त शासनादेशों का अनुपालन न कर मैसर्स अवनि परिधि एनर्जी एण्ड कम्यूनिकेशन प्रा0 लि0 लखनऊ के माध्यम से कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निम्न विवरण अनुसार विभिन्न पदों पर (कुल 63) कार्मिकों का नियोजन किया गया है । जबकि उक्त शासनादेशों के अनुसार जिन सेवाओं को उपनल आउटसोर्स करने में असमर्थ हो, ऐसी सेवाओं को अन्य स्रोतों से आउटसोर्स किया जाना था । कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में उपनल से कोई पत्राचार / सहमति प्राप्त नही की गई । अतः उक्त शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है । क्र0सं0 पदनाम संख्या 1– कम्प्यूटर टाइपिस्ट 08 2– वाहन चालक 02 3– चौकीदार 12 4– अनुसेवक 03 5– सफाई कर्मचारी 05 6– उद्यान विशेषज्ञ 01 7– सुपरवाइजर 01 8– स्वच्छकार 01 9– माली 24 10– सीवर आपरेटर 02 11– सुरक्षाकर्मी 04 योग 63	उक्त ऑडिट आपत्ति संख्या मेमो–12 के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि षासनादेष सं0–142 दिनॉक–16.10.2017 द्वारा समस्त विभाग / सरकारी उपकर्मो में उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओ के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन भत्ते की दरो में एकरूपता बनाये रखने हेतु आपूर्तित कार्मिकों/श्रमिकों को उपनल द्वारा निर्धारित दरों से ही पारिश्रमिक भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके कम में कार्यालय में एजेन्सी के माध्यम से आपूर्तित समस्त श्रमिकों/कार्मिकों को उपनल के नियम/उपनियमों एवं पारिश्रमिक भत्तों के अनुसार ही पारिश्रमिक एवं अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपनल की सर्विस चार्ज की दरें 2.5 प्रतिशत है जबकि कार्यालय में श्रमिकों की आपूर्ति हेतु स्वीकृत फर्म की सर्विस चार्ज की दरें 0.49 प्रतिशत हैं। जोकि उपलन की सर्विस चार्ज की दरों से 2.01 प्रतिशत कम हैं। अतः आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।

13	संस्था में किराये पर लिए गये वाहनों पर ईंधन खपत निर्धारित सीमा से अधिक किया जाना अनियमित व्यय– कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार के पत्रांक 3675 दिनांक 04.02.2017 के अनुसार क्षेत्र भ्रमण / स्थानीय दौरों हेतु किराये पर लिए गये वाहनों पर ईंधन खपत 150 लीटर से अधिक होने पर एवं मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक थी । लेखा परीक्षा वर्ष 2019–2020 में लॉगबुक/पत्रावली के अवलोकन/जांच पर पाया गया कि किराये पर लिए गये वाहनों पर ईंधन खपत हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार के पत्रांक 3675 दिनांक 04.02.2017 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक किया जा रहा है एवं मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्ति से संबन्धित कोई आदेश संलग्न नही थे कतिपय उदाहरण निम्न हैः– अधिकारी का नाम माह में प्रयोग ईंधन निर्धारित सीमा से अन्य विवरण सर्व श्री अधिक ईंधन खपत सतीश चौहान 04/19– 200 ली0 50 ली0 लॉगबुक में 06.04.2019से11.04.2019 05/19–375 ली0 225 ली0 तक चुनाव ड्यूटी दर्शाया है परन्तु ड्यूटी 06/19 –312 ली0 162 ली0 से संबन्धित आदेश प्रस्तुत नही किये गये 07/19 –350 ली0 200 ली0 एवं यात्रा के उद्देश्य कालम में(official) 08/19– 320 ली0 170 ली0 लिखा है,पूर्ण विवरण अंकित नही है एवं 09/19– 240 ली0 90 ली0 पूरे वर्ष चालक के हस्ताक्षर नही है । 10/19– 167 ली0 17 ली0 11/19– 283 ली0 133ली0 12/19– 308 ली0 158 ली0 01/2020 –249 ली0 99 ली0 02/2020 –190 ली0 40 ली0 कामेश्वर 05/19 –180 ली0 30 ली0 07/19– 220 ली0 70 ली0 09/19– 210 ली0 60 ली0 आदि	उक्त ऑडिट आपत्ति संख्या मेमो–13 के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि उक्त कार्यालय आदेष सं0–3675 दिनॉक–04 फरवरी 2012 को कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। तत्समय प्राधिकरण विकास क्षेत्र ऋषिकेश एवं हरिद्वार शहर तक ही सीमित था। वर्तमान समय मे प्राधिकरण विकास क्षेत्रार्न्तगत सम्पूर्ण हरिद्वार जिला है , जो कि काफी विस्तृत क्षेत्र है। जिसके फलस्वरूप वाहनो मे 150 ली0 प्रति माह ईधन खपत की सीमा का कोई औचित्य नही है। अधिकारियो द्वारा प्राधिकरण वाहनों से की गयी यात्राऐ प्राधिकरण कार्य हित मे की गई है। अतः अपात्ति निरस्त किए जाने योग्य है।
14	बीड कटर मशीनों से संबन्धित व्यय के लेखा का नियमानुसार रख रखाव न किया जाना– हरिद्वार शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों/पार्कों में समय–समय पर बीड कटर मशीनों द्वारा पार्कों की घास एवं जंगली घास आदि कटाई किये जाने हेतु बीड कटर मशीनों हेतु पेट्रोल क्रय किया गया किन्तु बीड कटर मशीनों की लॉगबुक नही बनाई गई है अथवा ऐसा कोई रजिस्टर नही बनया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस कार्य हेतु कितने घण्टे बीड कटर मशीन का प्रयोग हुआ और उक्त कार्य इससे पूर्व कब कराया गया था। अतः बीड कटर मशीन का घण्टे सहित कुल ईंधन खपत का विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। ताकि व्यय का औचित्य स्पष्ट हो सके	कृपया अवगत कराना है कि निर्धारित स्थानों एवं उच्चधिकारियों के मौखिक निर्देशानुसार ब्रष कटर मशीनों एवं ग्रास मूवर मशीनों द्वारा कटाई की जाती रही है। समय समय पर एक या अधिक मशीनों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। अभी तक केवल जिस स्थान के लिये तेल खरीदा गया है। उस स्थान का नाम अंकित किया गया है, जिसका पूर्ण विवरण स्टॉक रजि0 में भी चस्पा किया गया है। तदनुसार आपत्ति निरस्त करने हेतु प्रस्तुत है।

15.	किराए पर लिए गये वाहन का अनियमित भुगतान किया जाना –रू. 14175.00 कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा मै0 बालाजी इंटरप्राइजेज बिल संख्या 577 दिनांक 13.12.18 रू. 14175.00 वावत हरिद्वार से नैनीताल जाना एवं वापसी दिनांक 19.08.18 से 21.08.18 तक 3 दिन हेतु किराए पर लिए गये वाहन का भुगतान किया गया । उक्त बिल में वाहन संख्या यूके08टीए–2139 अंकित है एवं 4500.00 प्रतिदिन चार्ज किया गया है एवं टैक्स भी चार्ज किया गया है । जांच करने पर पाया गया कि उक्त वाहन संख्या यूके08टीए–2139 परिवहन विभाग में पंजीकृत नही है एवं वाहन कौन सा था यह भी अंकित नही है । हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा मै0बालाजी इंटरप्राइजेज से किराया अनुबंध में किराए पर लिए गये वाहन का किराया प्रतिदिन अधिकतम रू. 2780.00(चालक सहित + टैक्स) निर्धारित था । अतः निर्धारित मानक से अधिक भुगतान के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त के अतिरिक्त यदि इस प्रकार फर्म को भुगतान किया गया है तो उक्तानुसार ही स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है ।	उक्त ऑडिट आपत्ति संख्या मेमो–15 के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि वर्ष 2017–18 मे प्रतिदिन वाहन किराये की दर 2760.00 + टैक्स निर्धारित थी परन्तु वर्ष 2018–19 की निविदा मे प्रतिदिन वाहन किराए की दरें स्वीकृत नही थी। जिसके दृष्टिगत दिनॉक 24.09.2018 से 26.09.2018 तक 03 दिन के लिए प्राधिकरण अधिवक्ता एवं सहयोगी स्टाफ को मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल जाने हेतु तत्समय की बाजारू दरों पर किराये पर वाहन की आपूर्ति ली गई। प्राप्त बिल प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित हैं। अतः अपात्ति निरस्त किए जाने योग्य है।
16	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 75 का अनुपालन न किया जाना:– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 75 का अनुपालन रजिस्टर में उल्लेखित आस्तियों/सामाग्री की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामाग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष / सक्षम प्राधिकारी या उसके नामित द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च को भौतिक सत्यापन कराया जाना था, उत्त के अनुपालन में कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा मृत स्कन्ध पंजिका का सत्यापन नहीं कराया गया है स इस प्रकार उक्त नियम का पालन नहीं किए जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है ।उक्त के अतिरिक्त संस्था द्वारा आस्तियों /सामाग्री की ऐसी कोई सूची नही बनाई गयी है जिससे यह ज्ञात हो सके कि आलोच्य वर्ष में निष्प्रयोज्य सामाग्री के निस्तारण हेतु क्या कार्यवाही की गयी स्थिति अज्ञात रही स अतः इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। निष्प्रयोज्य आस्तियों/सामग्री के निस्तारण न किए जाने से उसके मूल्य में निरन्तर ह्रास हो रहा है, इस प्रकार निरन्तर हो रहे अवमूल्यन के कारण संस्था को हो रही आर्थिक क्षति से इंकार नही किया जा सकता है । अतः आस्तियां / सामग्री जो संस्था द्वारा उपयोग में नही लाई जा रही है उसका शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।	उक्त ऑडिट आपत्ति मेमो संख्या–16 के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि वर्ष 2019 तक का भौतिक सत्यापन किया गया है। कोविड–19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन एवं समय–समय पर अधिकारी/ कर्मचारियों के कोविड–19 से संक्रमित हो जाने के फलस्वरूप तत्समय भौतिक सत्यापन कर कार्यवाही नही की जा सकी। वर्तमान मे भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। भौतिक सत्यापन उपरान्त प्राप्त निष्प्रोज्य सामग्री की निलामी की कार्यवाही की जाएगी। अतः आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।
17	हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय ई डबल्यू एस भवनों के सापेक्ष ली जाने वाली बैंक गारंटी धनराशि या प्लाट बन्धक किए बिना मानचित्र स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा–उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 506/व/आ –2016–23(आ)/2011 दिनॉंक 30 मार्च 2016 के प्रस्तर 2(अ) के अनुसार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र कि आवासीय योजनाओं कि स्वीकृति के समय ई डबल्यू एस एवं एल आई जी भवनों के सापेक्ष बैंक गारंटी ली जाएगी जो संबन्धित योजना के	मी०मो0 नं0–17 सब–मी०मो0 नं0–1 के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नो0/ रूडकी /153/ 2018–19 श्री सुनील तोमर एवं श्री रवि कुमार आदि पत्र सं0–1312 दिनांक–30.01.2021,म0यो01 (क)मान /ले0आ0/ 156/ 2019–20 श्री मोनू त्यागी पत्र सं0–1311 दिनांक 30.01.2021, नो0/रूडकी/221/18–19 श्री मोनू त्यागी पत्र सं0– 1309 दिनांक 30.01.2021

	कुल क्षेत्रफल की 10%भूमि मूल्य के बराबर होगी जिसकी गणना वर्तमान सर्किल रेट पर की जाएगी । बैंक गारंटी की अवधि न्यूनतम एक वर्ष होगी । ई डबल्यू एस एवं एल आई जी भवनों के सापेक्ष बैंक गारंटी के स्थान पर यह विकल्प होगा कि विकास कर्ता द्वारा योजना के कुल क्षेत्रफल कि 10% भूमि ,जो विक्रय योग्य हो ,प्राधिकरण के पक्ष मे बंधक रखी जा सकती है । बंधक रखी जाने वाली भूमि लेआउट पर चिन्हित करते हुए मोर्टगेज डीड निष्पादित करनी अनिवार्य होगी । हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आवासीय योजनाओं के मानचित्र स्वीकृति के समय ई डबल्यू एस भवनों के सापेक्ष ली जाने वाली बैंक गारंटी धनराशि या भूमि बंधक रखे जाने के संबन्ध मे कोई विवरण न तो मानचित्र स्वीकृति आदेश मे अंकित है तथा न तो पत्रवाली मे संलग्न है । आवासीय योजनाओं के विवरण निम्न प्रकार है – 1– पत्रावली सं नो०/रुड़की/153/2018–19 श्री सुनील तोमर एवं श्री रवि कुमार आदि ग्राम बिचपड़ी खसरा न 55 से60 तक कुल क्षेत्रफल 16125 वर्ग मी – योजना मे स्वीकृत ईडबल्यूएस भवनों कि संख्या ––14 2– पत्रावली सं नो०/रुड़की/156/19–20 रुड़की मोनू त्यागी – ग्राम बावली कलंजरी खसरा न 313 एवं 314 तक कुल क्षेत्रफल 19970 वर्ग मी – योजना मे स्वीकृत ईडबल्यूएस भवनों कि संख्या ––21 3– पत्रावली सं लेआउट/रुड़की/06/2018–19 ग्राम शान्तर शाह श्री चंद्र मोहन पुत्र श्री होतीलाल यादव कुल क्षेत्रफल 9940 वर्ग मी–योजना मे स्वीकृत ईडबल्यूएस भवनों कि संख्या –––06+9= 15 4– पत्रावली सं नो०/रुड़की/221/2018–19 मोनू त्यागी – ग्राम बावली कलंजरी कुल क्षेत्रफल 18514.86 वर्ग मी – योजना मे स्वीकृत ईडबल्यूएस भवनों कि संख्या ––23 उक्त सभी आवासीय योजनाओं कि स्वीकृति, बिना बैंक गारंटी एवं प्लाट बंधक किए बिना किए जाने के संबन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।	द्वारा उक्त सभी आवासीय योजनाओं में अद्यतन बैंक गारन्टी जमा कराने हेतु सूचित किया गया है व ले–आउट/ रूडकी/ 06/ 2018–19 श्री चन्द्र मोहन पुत्र श्री होती लाल यादव, पत्र सं0–1310 दिनांक 30.01.2021 तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में शर्तो के अनुपालन सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित किया गया है। अतः उक्त आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।
18	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 4710.00 को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा न करना – वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक– 14 अक्टूबर , 2005 (वित्त) सामान्य नियम – वेतन आयुक्त अनुभाग– 7 संख्या – 01 /xxvii(7) 2005 के अनुसार इस रीति (सूचना का अधिकार) से प्राप्त धन को रोकड़ बही में प्रविष्टि कर एक सप्ताह के भीतर ऐसी समस्त धनराशि अपने राजस्व शीर्ष के अंतर्गत खजाने में जमा की जाएगी की व्यवस्था है । उपरोक्त व्यवस्था के इतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के सापेक्ष कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार को वर्ष 2019–2020 में प्राप्त धनराशि रू0–4710.00(हरिद्वार–4010.00 रुड़की– 600.00 लक्सर 100.00) को निम्नवत राजस्व शीर्ष के अंतर्गत खजाने में जमा नहीं किया गया था । जिसे तुरन्त जमा किया जाना अपेक्षित है । उक्त से अतिरिक्त यदि लेखा परीक्षा वर्ष से पूर्व एवं 31.03.2020 के बाद भी यदि उक्त मद में जो शुल्क प्राप्त हुआ हो तो उसकी भी गणना कर जमा किया जाना अपेक्षित है ।	उक्त ऑडिट आपत्ति मेमो संख्या–18 के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि प्राधिकरण को शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के कार्यो के सम्पादन हेतु कोई अनुदान प्राप्त नही होता है। सााथ ही यह भी अवगत करना है कि प्राधिकरण द्वारा कोषागार से अहरण वितरण का कार्य नही किया जाता है। आवेदन शुल्क के रूप मे प्राप्त धनराशि को प्राधिकरण कोष मे जमा कराया जाता है। जमा धनराशि की प्राप्ति रसीद आवेदक को निर्गत की जाती है। अतः उपरोक्तानुसर आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।

	0070– अन्य प्रशासनिक सेवायें 60– अन्य सेवायें 800– अन्य प्रप्तियाँ 06– अन्य प्रकीर्ण प्रप्तियाँ 00– ————	
19	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 33 के अनुसार प्रमाण – पत्र अभिलिखित किए बिना सामग्री क्रय किया जाना अनियमित – उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम – 33 के अनुसार जहां क्रय की जानी वाली सामग्री का मूल्य रु0 25000 तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन / निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप में प्रमाण – पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती हैं का सुसंगत प्रावधान किया गया हैं । प्रमाण पत्र का प्रारूप निम्नवत हैं – "मैं ———— ––व्यक्तिक रूप से सन्तुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा क्रय की गयी सामग्री ——————अपेक्षित विशिष्टियों तथा गुणवत्ता के अनुरूप हैं, और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित दरों पर क्रय की गयी हैं। " हस्ताक्षर – अधिकारी का नाम – पदनाम – संस्था द्वारा उक्त का अनुपालन किए बिना सामग्री क्रय की गयी थी । उदाहरण निम्नवत हैं – क्र0सं0 फर्म का नाम बिल संख्या व दिनांक सामग्री मात्रा धनराशि 1. सैनी इलेक्ट्रिक वर्क्स बिल नं नहीं 01/04/2019 हीटर 01 2600.00 2. चंदवानी ईलाइट फर्नीशिंग हरिद्वार 1222/2.9.19 अल्मारी 01 4956,00 3. किशन बैग हाउस हरिद्वार बिल नं नहीं 11/10/19 ऑफिस बैग 01 1450.00 4. चंदवानी ईलाइट फर्नीशिंग हरिद्वार बिल नं नहीं 29.11.19 फोल्डिग बेड 01 1500,00 5. संजीव क्रॉकरी सेंटर हरिद्वार बिल नं 1674/19.3.2020 विभिन्न विभिन्न 4540.00 6. दीक्षित मेडिकल एजेंसी 89/20.03.2020 विभिन्न विभिन्न 7880.00 7. अद्रोइट इंटरप्राइजेज हरिद्वार 442/02.09.19 विभिन्न विभिन्न 5546.00 8. संजीव क्रॉकरी सेंटर हरिद्वार बिल नं 1522/18.02.2020 विभिन्न विभिन्न 2200.00 आदि	उक्त ऑडिट आपत्ति मेमो संख्या–19 के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि उपरोक्त उल्लिखित बिलों पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी कराते हुए सम्परीक्षा दल को अवलोकित करा दिये गये हैं। भविष्य के लिए नोट किया गया। अतः आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।
20	इंद्रलोक आवासीय योजना अन्तर्गत किश्तों की भारी धनराशि का बकाया रहना प्राधिकरण आय क्षति होना :– कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार इंद्रलोक आवासीय योजना अन्तर्गत दिनांक 31.03.2020 को किश्तों एवं उन पर देय ब्याज की भारी धनराशि बकाया थी कतिपय पत्रावलियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा निम्न विवरण अनुसार माह मार्च 2019 में अन्तिम नोटिस दिया गया था उसके बाद लेखा परीक्षा अवधि तक बकाया जमा करने हेतु पत्राचार नही	कृ0 आडिट आपत्ति मीमो न0–20 मीमो0–1 के सम्बन्ध मे आडिट दल द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना के बकायेदारो की बकाया धनराशि वर्तमान योग के अनुसार वसूली किये जाने तथा अनुबन्ध की क्षति के अनुसार आवंटन निरस्त करने तथा बेदखली कर नियमानुसार कटौती का विषय प्राधिकरण के समक्ष लाया गया है। उपरोकत के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि प्राधिकरण स्तर से बकाया वसूल करने की

	किया गया तथा किराया–किश्त का अनुबंध पत्र की शर्त (ण) "किराया किश्त क्रेता सभी देयों की जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा । किश्तों का भुगतान प्रत्येक त्रैमास की निर्धारित तारीख तक किया जायेगा । वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त विलम्ब अवधि पर 15 प्रतिशत (पंद्रह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से दण्ड सहित ब्याज के भुगतान का देनदार होगा । यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाये तो किराया–किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों को वस्तुतः देय होने की दिनांक से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा । 6 (छः) मासिक अथवा 2 त्रैमासिक से अधिक किश्तों का भुगतान न करने की दशा में किश्तदारी समाप्त समझी जाएगी और भवन आबंटन निरस्त करते हुये क्रेता को संपत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा तथा क्रेता की जमा धनराशि से 25 प्रतिशत(पच्चीस प्रतिशत) की कटौती एवं भवन का कब्जा वापस प्राप्त करने पर यदि कोई व्यय आता है तो उसकी भी कटौती कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी । स्वामी को देय सभी बकाया धनराशि को भू–राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करें,वसूल किये जाने का अधिकार होगा । परंतु प्राधिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुसार किसी भी बकायादार के विरुद्ध कार्यवाही न किया जाना प्राधिकरण हित में यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है । अतः पुरानी बकाया के साथ–साथ वर्तमान माँग (किश्त+ब्याज) वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । क्योंकि वसूली न होने से उनकी संख्या में उत्तरोतर वृद्धि से इन्कार नही किया जा सकता कतिपय बकायादारों का उदाहरण निमन्वत है :– क्रम संख्या बकाया का दिनांक कब से बकाया व आबंटी का नाम सर्व श्री अंतिम नोटिस देने की तिथि बकाया किश्त ब्याज कुल बकाया 1. श्रीमति प्रेमवाती पत्नी श्री शेर सिंह 1616 / 25.11.2016 2732 / 14.03.2019 146642.00 51680.76 198322.76 2. श्रीमति पूजा गोयल पत्नी श्री संजीव 1620 / 25.11. 2016 2733 / 14.03.2019 138016.00 46347.00 184363. 00 3. श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री बाल सिंह 1942 / 26.10.2015 2729 / 14.03.2019 256200.00 11131.24 367331.24 4. श्री दौलत सिंह पुत्र श्री नन्दा सिंह 2731 / 14.03.2019 90956.00 35489.63 126445.63 आदि	कार्यवाही की जा रही है। आवंटन निरस्त करने से पूर्व अनुबन्ध को सक्षम न्यायालय मे निरस्त कराने तथा बेदखली से संबंधी वाद दायर कर कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त कार्यवाही पर प्राधिकरण को अधिभार वहन करना पडेगा । प्राधिकरण स्तर से अंतिम नोटिस भेजकर वसूली करने तथा वसूली न होने पर भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित है।
21	आश्रय भवन हरिलोक आवासीय योजना एवं आश्रय भवन शिवलोक आवासीय योजना में किश्तों की भारी धनराशि का बकाया रहना अनियमित एवं प्राधिकरण आय क्षति :– शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चयनित आबंटी को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा आश्रय भवन हरिलोक आवासीय योजना एवं आश्रय भवन शिवलोक आवासीय योजना में भवन आबंटित किये गये हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत	कृ0 आडिट आपत्ति सं0–21 बकायेदारो से ब्याज सहित बसूली नियमानुसार कर जा रही है। जहॉ तक आवंटी के भू–राजस्व बकाये की वसूली एवं वितियि अवधि मे आवंटन निरस्त करने की आपत्ति / कार्यवाही न किये जाने का विशय है, उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि आश्रम योजना एवं E.W.S भवनो की डिमाण्ड बहुत कम है। उल्लिखित आवंटियो का आंवटन निरस्त करने पर सम्पत्ति रिक्त रहेगी तथा

सूची के अनुसार आश्रय भवन हरिलोक आवासीय योजना एवं आश्रय भवन शिवलोक आवासीय योजना अन्तर्गत दिनांक 31.10.2020 को किश्तों एवं उन पर देय ब्याज की भारी धनराशि बकाया थी कतिपय पत्रावलियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा किराया–किश्त का अनुबंध पत्र की शर्त (ण) "किराया किश्त क्रेता सभी देयों की जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा । किश्तों का भुगतान प्रत्येक त्रैमास की निर्धारित तारीख तक किया जायेगा । वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त 15 प्रतिशत (पंद्रह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से दण्ड सहित ब्याज के भुगतान का देनदार होगा । यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाये तो किराया–किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों को वस्तुतः देय होने की दिनांक से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा । 6 (छः) मासिक अथवा 2 त्रैमासिक से अधिक किश्तों का भुगतान न करने की दशा में किश्तदारी समाप्त समझी जाएगी और भवन आबंटन निरस्त करते हुये क्रेता को संपत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा तथा क्रेता की जमा धनराशि से 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत)की कटौती एवं भवन का कब्जा वापस प्राप्त करने पर यदि कोई व्यय आता है तो उसकी भी कटौती कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी । स्वामी को देय सभी बकाया धनराशि को भू–राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से,जिसका विधि समर्थन करें,वसूल किये जाने का अधिकार होगा । परंतु प्राधिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुसार किसी भी बकायादार के विरुद्ध कार्यवाही न किया जाना प्राधिकरण हित में यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है । कतिपय बकायादारों का उदाहरण निमन्वत है :– आश्रय भवन हरिलोक आवासीय योजना क्रम संख्या भवन संख्या व आबंटी का नाम सर्व श्री बकाया किश्त ब्याज कुल बकाया

1. 5–B श्री मोहनलाल पुत्र श्री श्यामलाल 48840.00 86443.95 135283.95

2. 7– B श्री रजनीश प्रसाद पुत्र श्री जगन सिंह 60260.00 69742.00 130002.00

3. 9– B श्री श्याम सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह 68460.00 156023.11 224483.11

4. 11– B श्री सुधीर कुमार कश्यप पुत्र श्री इंद्रजीत 38355.00 137329.89 175684.89

5. 16– B श्री रवीन्द्र पुत्र श्री मांगे राम 70755.00 95114.89 165869.89

6. 22– B श्री संजीव कश्यप पुत्र श्री महेश चंद कश्यप 68525.00 97380.57 165905.57

7. 23–A श्री गिरवर सिंह रावी 51585.00 50300.00 101885.00

8. 10–B श्री मेवा लाल पुत्र श्री रामप्यारे 29235.00 71512.04 100747.04

9. 13 श्रीमति अंजु कश्यप पत्नी श्री जवाहर सिंह 20985.00 86628.84 107613.84

10. 15– श्री महिपाल सैनी पुत्र श्री रायसिंह 52610.00 100160.29 152770.29

11. 15–Bश्री कमल कुमार पुत्र श्री चमन लाल 63000.00

जीने–क्षीर्ण भी होगी । तथापि नये पंजीकरण खोलने एवं भवनो की मरम्मत करने पर प्राधिकरण को अनावश्यक भार वहन करना होगा।

बकायेदारो कर वसूली हेतु अंतिम नोटिस प्रेषित करने का प्रस्ताव है। जिन आवंटियो कर बकाया धनराशि जमा नही की जा रही है। वह धनराशि अधिनियम की धारा –40 के अर्न्तगत वसूलने की कार्यवाही की जा रही है।

	सूची के अनुसार आश्रय भवन हरिलोक आवासीय योजना एवं आश्रय भवन शिवलोक आवासीय योजना अन्तर्गत दिनांक 31.10.2020 को किश्तों एवं उन पर देय ब्याज की भारी धनराशि बकाया थी कतिपय पत्रावलियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा किराया–किश्त का अनुबंध पत्र की शर्त (ण) "किराया किश्त क्रेता सभी देयों की जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा । किश्तों का भुगतान प्रत्येक त्रैमास की निर्धारित तारीख तक किया जायेगा । वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त 15 प्रतिशत (पंद्रह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से दण्ड सहित ब्याज के भुगतान का देनदार होगा । यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाये तो किराया–किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों को वस्तुतः देय होने की दिनांक से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा । 6 (छः) मासिक अथवा 2 त्रैमासिक से अधिक किश्तों का भुगतान न करने की दशा में किश्तदारी समाप्त समझी जाएगी और भवन आबंटन निरस्त करते हुये क्रेता को संपत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा तथा क्रेता की जमा धनराशि से 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत)की कटौती एवं भवन का कब्जा वापस प्राप्त करने पर यदि कोई व्यय आता है तो उसकी भी कटौती कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी । स्वामी को देय सभी बकाया धनराशि को भू–राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से,जिसका विधि समर्थन करें,वसूल किये जाने का अधिकार होगा । परंतु प्राधिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुसार किसी भी बकायादार के विरुद्ध कार्यवाही न किया जाना प्राधिकरण हित में यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है । कतिपय बकायादारों का उदाहरण निमन्वत है :– आश्रय भवन हरिलोक आवासीय योजना क्रम संख्या भवन संख्या व आबंटी का नाम सर्व श्री बकाया किश्त ब्याज कुल बकाया 1. 5–B श्री मोहनलाल पुत्र श्री श्यामलाल 48840.00 86443.95 135283.95 2. 7– B श्री रजनीश प्रसाद पुत्र श्री जगन सिंह 60260.00 69742.00 130002.00 3. 9– B श्री श्याम सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह 68460.00 156023.11 224483.11 4. 11– B श्री सुधीर कुमार कश्यप पुत्र श्री इंद्रजीत 38355.00 137329.89 175684.89 5. 16– B श्री रवीन्द्र पुत्र श्री मांगे राम 70755.00 95114.89 165869.89 6. 22– B श्री संजीव कश्यप पुत्र श्री महेश चंद कश्यप 68525.00 97380.57 165905.57 7. 23–A श्री गिरवर सिंह रावी 51585.00 50300.00 101885.00 8. 10–B श्री मेवा लाल पुत्र श्री रामप्यारे 29235.00 71512.04 100747.04 9. 13 श्रीमति अंजु कश्यप पत्नी श्री जवाहर सिंह 20985.00 86628.84 107613.84 10. 15– श्री महिपाल सैनी पुत्र श्री रायसिंह 52610.00 100160.29 152770.29 11. 15–Bश्री कमल कुमार पुत्र श्री चमन लाल 63000.00	जीने–क्षीर्ण भी होगी । तथापि नये पंजीकरण खोलने एवं भवनो की मरम्मत करने पर प्राधिकरण को अनावश्यक भार वहन करना होगा। बकायेदारो कर वसूली हेतु अंतिम नोटिस प्रेषित करने का प्रस्ताव है। जिन आवंटियो कर बकाया धनराशि जमा नही की जा रही है। वह धनराशि अधिनियम की धारा –40 के अर्न्तगत वसूलने की कार्यवाही की जा रही है।

	100791.98 163791.98 आदि आश्रय भवन शिवलोक आवासीय योजना क्रम संख्या भवन संख्या व आबंटी का नाम सर्व श्री बकाया किश्त ब्याज कुल बकाया 1.1–B श्री बबलू पुत्र श्री आनन्द 11850.00 18859.42 30709.42 2. 7– A श्री सोहन लाल पुत्र श्री कालूरम 11880.00 5987.97 17868.97 3. 8– B श्री संदीप पुत्र श्री कालूरम 15960.00 8992.46 130002.00 4. 9– A श्री भंवर पाल पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह 22365.00 22572.24 44937.24 आदि	
22	सेवा पुस्तिकाओं में सेवा सत्यापन प्रविष्टियाँ न किया जाना एवं आहरण वितरण / सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर न होनाः– कार्यालय हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में निम्न प्रकार कमियाँ पाई गई – क्रम संख्या नाम अधिकारी/कर्मचारी सर्व श्री विवरण 1. सुनील कुमार गुप्ता,अवर अभियंता 01.04.2019 से सेवा सत्यापन नहीं एवं सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं । 2. उमापति भट्ट ,अवर अभियंता उपरोकतानुसार, 3. त्रिपन सिंह ,अवर अभियंता उपरोकतानुसार, , 4. शान्ति सिंह रावत,अवर अभियंता उपरोकतानुसार	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं पर प्रविष्टियां कर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित कराते हुए सम्परीक्षा दल को अवलोकित करा दी गयी हैं। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।
23	हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय ई डबल्यू एस भवनों के सापेक्ष ली जाने वाली बैंक गारंटी धनराशि या प्लाट बन्धक किए बिना मानचित्र स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा तथा ईडबल्यूएस भवनों का मानचित्र के सापेक्ष कोई शुल्क न लिया जाना–उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 506/व/आ –2016–23(आ) /2011 दिनाँक 30 मार्च 2016 के प्रस्तर 2(v) के अनुसार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र कि आवासीय योजनाओं कि स्वीकृति के समय ई डबल्यू एस एवं एल आई जी भवनों के सापेक्ष बैंक गारंटी ली जाएगी जो संबन्धित योजना के कुल क्षेत्रफल की 10% भूमि मूल्य के बराबर होगी जिसकी गणना वर्तमान सर्किल रेट पर की जाएगी । बैंक गारंटी की अवधि न्यूनतम एक वर्ष होगी । ई डबल्यू एस एवं एल आई जी भवनों के सापेक्ष बैंक गारंटी के स्थान पर यह विकल्प होगा कि विकासकर्ता द्वारा योजना के कुल क्षेत्रफल कि 10% भूमि ,जो विक्रय योग्य हो ,प्राधिकरण के पक्ष मे बंधक रखी जा सकती है । बंधक रखी जाने वाली भूमि लेआउट पर चिन्हित करते हुए मोर्टगेज डीड निष्पादित करनी अनिवार्य होगी । हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आवासीय योजनाओं के मानचित्र स्वीकृति के समय ई डबल्यू एस भवनों के सापेक्ष ली जाने वाली बैंक गारंटी धनराशि या भूमि बंधक रखे जाने के संबन्ध मे कोई विवरण न तो मानचित्र स्वीकृति आदेश मे अंकित है तथा न तो पत्रवाली मे संलग्न है । आवासीय योजनाओं के विवरण निम्न प्रकार है – 1– पत्रावली सं मान०यो०/लेआउट/165/19–20 रुड़की मोनू त्यागी दृ ग्राम बावली कलंजरी खसरा न 66,67,68,70,71,72,89,90एवं91 कुल क्षेत्रफल 31647. 8 वर्ग	मी0मो0 नं0–23 सब–मी0मो0 नं0–1 के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित पत्रावली सं0– म०यो0/ले–आउट /165/2019–20 श्री मोनू त्यागी, ग्राम बावली कलंजरी, रूडकी, जिला–हरिद्वार के कुल क्षेत्रफल 31647.80 वर्ग मी0 योजना में स्वीकृत ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के सापेक्ष विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, लेबरसेस, कुल रू0– 3,52,500.00 रसीद सं0–198/88 दिनांक 22.12.2020 द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया है। रसीद की छाया प्रति संलग्न है। अतः उक्त आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

	वर्ग मी – योजना मे स्वीकृत ईडबल्यूएस भवनों कि संख्या ——47	
2[redacted]	हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा सलेमपुर रुड़की में सड़क निर्माण कार्य अनुबंध संख्या 11/2016–17 के अन्तर्गत कराया गया । बिल एवं माप पुस्तिका के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किया गया है – 1–आरबीएम –मात्रा –168.324 घन मी 2 – 1 : 4 :8 –169.014 घन मी 3– 1 :1.5:3 –162.26 घनमी 4– ब्रिक वर्क ––10.50 वर्गमी उक्त कार्य में प्रयुक्त खनिजों की रोयालटी के सम्बन्ध मे कोई विवरण पत्रवाली मे संलग्न नहीं है । रवन्ने प्रस्तुत न किए जाने पर नियमानुसार ठेकेदार के विलों से प्रयुक्त खनिजों की मात्रा की गणना कर निर्धारित दरों से रोयालिटी काटी जानी चाहिए । यदि रवन्ने प्रस्तुत किए गए है तो उनका विवरण प्त्रवाली में संलग्न किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति मे नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।	उक्त ऑडिट आपत्ति मेमो संख्या–24 सम्बन्ध मे अवगत कराना हैं कि सम्बन्धित ठेकेदार को रव्वना प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या–5295 दिनॉक–01/02/2021 द्वारा सूचित कर दिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।

A.O.